

सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वाग एवं पुनःस्थापना नीति, 2012के अंतर्गत श्री विकाश कुमार वर्मा पिता- श्री महेश राम ग्राम: बिंगलात, थाना: टंडवा, जिला: चतरा (झारखण्ड) को सी वी ए, 1957 अधिनियम के तहत थाना सं. 49, ग्राम: बिंगलात, (रैयती भूमि) खाता सं० 6; के अधीन प्लॉट सं० 204, खाता सं० 10; अधीन प्लॉट सं० 58; खाता सं० 2; अधीन प्लॉट सं० 184, खाता सं० 14; अधीन प्लॉट सं० 112, 139, 421; खाता सं० 6; अधीन प्लॉट सं० 93, 13, 39, 41, 95, 33, 42, 100; एवं खाता सं० 36; अधीन प्लॉट सं० 126, 474, 633; तुल रकवा: 2.00 एकड़ (रैयती भूमि) के अधिग्रहण के एवज मे रोजगार का एक प्रस्ताव प्रोसैस किया गया है।

अगर उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ वेबसाईट http://www.centralcoalfIELDS.in/indsk/noti_empl_1nd.php पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से दस दिनों के अंदर सभी दस्तावेजो एवं माध्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप मे महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व) राँची एवं क्षेत्रिय महाप्रबंधक (आम्रपाली - चन्द्रागुप्त), सी.सी.एल. के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर दस दिनो के अंदर उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर कोई आपति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है।

विलम्ब

16/09/2023
07/09/2023